अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–
विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन) का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–7/विविध–04–44/2024 **/पटना, दिनांक......................**

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषय :– **अन्य विभागों/निगमों द्वारा किये गये डिबार/डिबार मुक्त संवेदकों की सूची विभागीय बेबसाईट पर विभागीय संसूचन हेतु अपलोड करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न संवेदकों को किये गये डिबार की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग/निगम का नाम	ज्ञापांक/ दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	संवेदक श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, पो०–भगवानपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिन–842001 (निबंधन सं०-WRD160321C2IN40202, श्रेणी–द्वितीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–2696 दि०–20.05.2026	बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक को पत्र में वर्णित तीनों कार्यों के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।
2	संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर, पिन–842001, (निबंधन संख्या–WRD300424C3IN00067, श्रेणी–तृतीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–2802 दि०–25.05.2026	बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक को पत्र में वर्णित कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।
3	संवेदक Sri Chandan Kumar, At-Dargahpur, Ward No.-03, P.O-Nawada, P.S-Bachwara, Begusarai, Bihar, Pin-851111 (निबंधन सं०-WRD041224C2IN00107, श्रेणी–द्वितीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–2907 दि०–29.05.2026	बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक को पत्र में वर्णित कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।

4	संवेदक Sri Awadhesh Ray, At-Sabnima Athmalgola, Sabnima Bakhyiyarpur Patna, Pin-803212 (निबंधन सं०-WRD171125C2IN24169976, श्रेणी–द्वितीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–2909 दि०–29.05.2026	बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक को पत्र में वर्णित कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।

अनु0–यथोक्त।

2. कॉलम 4 में अंकित संबंधित विभाग के पत्र का संदर्भ भी लिया जाना आवश्यक होगा।
3. यह सूचना केवल विभागीय संसूचन एवं परिचालन के लिए है।

विश्वासभाजन

ह०/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–44/2024– **/पटना, दिनांक**.............

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांकों के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

2. आपके विभाग से संबंधित प्रविष्टि में अशुद्धि परिलक्षित होने पर अवगत कराने की कृपा की जाए।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध–04–44/2024– 4306(E)wc **/पटना, दिनांक** 25/6/2026

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/ कार्यपालक अभियंता, (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को Website पर Upload करने हेतु तथा प्रभारी e-tendering को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

27/06/26

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन)।

22.07.26

D:\Avinash Work Folder\Black Listing, Suspension Letter of Other Dept..docx

पत्र संख्या –26 / विविध–06–22 / 2026 .... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल अंतर्गत बाढ़ पूर्व कटाव निरोधक कार्य एकरारनामा सं0–325F2/2025-26 (एजेंडा सं0–EKE/S/02/2026), एकरारनामा सं0–324F2/2025-26 (एजेंडा सं0–EKE/S/04/2026) दिनांक–05.02.2026 एवं एकरारनामा सं0–348F2/2025-26 (एजेंडा सं0–EKE/S/05/2026) दिनांक–23.02.2026 के तहत संवेदक श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842001 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार उक्त तीनों कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2026 थी।

2. स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं पाये जाने पर कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से तीनों योजनाओं में स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल में आवश्यक बढ़ोतरी कर कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया। इसके बावजूद दिनांक–17.04.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र क्रमशः 36 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 13 प्रतिशत ही है। संवेदक द्वारा कार्य में शिथिलता बरतने एवं ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल के पत्रांक–765 दिनांक–18.04.2026 द्वारा संवेदक को डिबार करने की अनुशंसा की गई।

3. कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2243 दिनांक–29.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 86 प्रतिशत, 87 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, सुपौल से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, पो0–भगवानपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842001 (निबंधन सं0–WRD160321C2IN40202, श्रेणी–द्वितीय) को वर्णित तीनों कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया जाता है।

ह0 / –

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26 / विविध–06–22 / 2026 पटना / दिनांक :..............................

प्रतिलिपिः– श्री कमलापति, ग्राम–गोबरसही चौक, पो0–भगवानपुर, जिला–मुजफ्फरपुर, पिनकोड–842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–22 / 2026 2696 पटना, दिनांक : 20/5/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्र संख्या –26 / विविध–06–21 / 2026 .... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, वीरपुर परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण के अंतर्गत ग्राम–रसूलपुर में कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य एकरारनामा सं0–194F2/2025-26 (एजेंडा सं0–242 / 267 / 2026) दिनांक–21.02.2026 के तहत संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर, पिन–842001 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया एवं व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर वार्ता भी की गयी, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 22 प्रतिशत हीं है, जो अपेक्षित प्रगति 95 प्रतिशत से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक–15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है। संवेदक का यह कृत्य कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण के पत्रांक–527 दिनांक–18.04.2026 द्वारा संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर, पिन–842001 को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2191 दिनांक–27.04.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 22 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमंडल, चंद्रायण से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर, पिन–842001 (निबंधन सं0–WRD300424C3IN00067, श्रेणी–तृतीय) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित / डिबार किया जाता है।

ह0 / –
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

448

ज्ञापांक : 26 / विविध–06–21 / 2026 पटना / दिनांक : ....

प्रतिलिपिः– श्री राकेश कुमार रंजन, गोबरसही चौक, मुजफ्फरपुर, पिन–842001 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26 / विविध–06–21 / 2026 2802 पटना, दिनांक : 25/5/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग / पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लघु जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्र संख्या –26/विविध–01–05/2026 ..../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

5687477
01.06.2026

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के अंतर्गत Construction of 02 Nos. AFS & Strenghthening of left minor bundh near Lathorniya dev pindi & Ghoranpura on Mahatmine left minor bundh कार्य एकरारनामा सं0–494SBD/2025-26 (एजेण्डा सं0–242/386/2026) दिनांक–24.02.2026 के तहत संवेदक SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक–08.05.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 55 प्रतिशत हीं रही, जो अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक–15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के पत्रांक–836 दिनांक–07.05.2026 द्वारा संवेदक SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2478 दिनांक–12.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 75 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक

SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WARD NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 (निबंधन सं० WRD041224C2IN00107, श्रेणी–द्वितीय) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध–01–05/2026 पटना/दिनांक :...............................

प्रतिलिपिः– SRI CHANDAN KUMAR, AT-DARGAHPUR, WAR NO.-03, PO-NAWADA, PS-BACHWARA, BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851111 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–05/2026 2907 पटना, दिनांक : 29/5/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्र संख्या –26 / विविध–01–04 / 2026 .... /

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना परिक्षेत्राधीन पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के अंतर्गत Construction of New AFS near Village Sonaru on left minor bundh of Dhowa river along with allied Protection work एकरारनामा सं0–487F2/2025-26 (एजेण्डा सं0–242 / 382 / 2026) दिनांक–30.01.2026 के तहत संवेदक SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 को आवंटित किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि–15.05.2026 थी।

2. कार्य को ससमय पूर्ण कराने हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संवेदक को कार्य स्थल पर मशीनरी एवं श्रमबल बढ़ाकर ससमय कार्य पूर्ण कराने के लिए निदेशित किया गया, इसके बावजूद संवेदक द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक–08.05.2026 तक कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 56 प्रतिशत हीं रही, जो अपेक्षित प्रगति से काफी कम है।

उक्त कार्य आपदा जनित कार्य है, जिसे हर हाल में दिनांक–15.05.2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इतने महत्वपूर्ण कार्य को ससमय पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूचि नहीं लिया जाना कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को परिलक्षित करता है।

कार्य में शिथिलता बरतने एवं कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरूचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना के पत्रांक–840 दिनांक–07.05.2026 द्वारा संवेदक SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHTIYARPUR PATNA, PIN-803212 को डिबार करने की अनुशंसा की गयी।

3. कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–2479 दिनांक–12.05.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी, जिसका जवाब अप्राप्त रहा।

4. संवेदक से कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने पर मामले की समीक्षा बाढ़ (मो0) से करायी गयी। समीक्षा में उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति मात्र 82 प्रतिशत हीं है। आपदा से संबंधित कार्य होने के बावजूद निर्धारित तिथि तक कार्य को पूर्ण कराने में संवेदक द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बार–बार निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण करने का सम्यक प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो संवेदक का कार्य के प्रति लापरवाहीं एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अतः कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटनासिटी, करबिगहिया, पटना से प्राप्त अनुशंसा एवं बाढ़ (मो0) द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) के कंडिका–(ii) के तहत संवेदक

टेंडर - 507/निविदा-04-49/2024

454

SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHYIYARPUR PATNA, PIN-803212 (निबंधन सं0– WRD171125C2IN24169976, श्रेणी–द्वितीय) को इस कार्य के पूर्ण होने तक डिफाल्टर घोषित करते हुए अगली निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया जाता है।

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक : 26/विविध–01–04/2026 पटना/दिनांक :......................................

प्रतिलिपिः– SRI AWADHESH RAY, AT-SABNIMA ATHMALGOLA, SABNIMA BAKHYIYARPUR PATNA, PIN-803212 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

ज्ञापांकः– 26/विविध–01–04/2026 2909 पटना, दिनांक : 29/5/26

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।